# राजस्थान आवासन मण्डल,जयपुर

**-: RTI NOTE :-**

**राजस्थान आवासन मण्डल लोक प्राधिकरण द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–05 के तहत निम्नांकित कार्यवाही की गई है।**

1 अधिनियम की धारा 5 (1),(2) के तहत 54 लोक सूचना अधिकारियो को पदाभिहित (DESIGNATED) किया जा चुका है।

2 अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत समुचित जानकारी के परिपत्र/आदेश/निर्देश जारी किये जा चुके है। इसी प्रकार मण्डल की वेबसाइट पर भी सूचना अपलोडेड करने की प्रक्रिया जारी है।

3 पदाभिहित लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी के दायित्व एवं कार्यो का परिपत्र जारी किया जा चुका है।

4 अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत आवेदन शुल्क व फीस के आदेश जारी किये जा चुके है।

5 आवासन मण्डल लोक प्राधिकरण के क्षैत्रीय कार्यालयो में अधिनियम अन्तर्गत सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गयी है।

6 अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपील आवेदन पत्रो पर सुनवाई एवं निर्णय की प्रक्रिया अध्यक्ष सचिवालय में संचालित है।

7 इलेक्ट्रानिक्स सूचना, सामग्री के नमूने, व मानचित्रो की प्रतियां की उपलब्धता अधिनियम अन्तर्गत निर्देशित की गयी है।

8 समाचार पत्रो में PIOs एवम APIOS के बारे में सूचना का प्रकाशन करवाया गया है।

9 सूचना प्रसार के तहत स्लोगन व सूक्तियां बनाई गई है।

10 ''सूचना का अधिकार'' प्रशिक्षण मण्डल के अधिकारियो को निरन्तर दिलाया जा रहा है। अब तक कुल चार प्रशिक्षण में 35 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है।

11 RTI Act-05 की धारा 6 के तहत प्राप्त आवेदन पत्रो का निर्धारित समय में निपटारा व निर्माण सामग्री एवं मिट्‌टी के प्रमाणित नमूने उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी।

राजस्थान आवासन मण्डल लोक प्राधिकरण अपने कार्यकरण में पारदर्शिता और जवाब देही का सम्पवर्तन करने की दृष्टि से लोक प्राधिकारियो के नियन्त्रण अधीन की सूचना तक पहुच को सुनिश्चित करने के लिए सूचना के अधिकार की शासन पद्वति स्थापित करने के उद्वेश्य से निरन्तर प्रयासरत व कृत संकल्प है। पदाभिहित लोक सूचना अधिकारियो के प्रशिक्षण निरन्तर करवाये जा रहे है।